


# कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना, जमुई

Web-Site –  
www.bepcjamui.in



E-mail –  
dpossajamui@gmail.com

पत्रांक.....706/

प्रेषक,

सीमा कुमारी  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
प्रा0 शि0 एवं समग्र शिक्षा, जमुई।

सेवा में

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक,  
DAV PUBLIC SCHOOL.ASHOK TOWN HALL ROAD  
JAMUI, Dist.-JAMUI

जमुई, दिनांक.....19/6/2021

विषय :-

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ आपको तीन वर्षों के लिए शर्तों के साथ औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त परिपेक्ष्य में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन के आलोक में आपके विद्यालय DAV PUBLIC SCHOOL. ASHOK TOWN HALL ROAD JAMUI, Dist.-JAMUI को कक्षा नर्सरी/कक्षा-01 से कक्षा 08 तक संचालन हेतु प्रस्वीकृति समाप्ति की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए RTE Act में उल्लिखित शर्तों के साथ प्रस्वीकृति दी जाती है। RTE में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रस्वीकृति कभी भी रद्द की जा सकती है।

विश्वासभाजन

31/6/21

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रा0 शि0 एवं समग्र शिक्षा, जमुई।

18/06/21